भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **3186** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

छोटे पत्तनों का विकास

† 3186. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत वाले एक ऐतिहासिक पत्तन पोन्नानी सहित केरल राज्य में लघु पत्तनों के विकास की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्षेत्रीय सम्पर्क और आर्थिक विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए इन विकास कार्यों के लिए वर्तमान योजनाएं और समय-सीमा क्या है; और

(ग) क्या क्रूज पोतों को आकर्षित करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास में इन पत्तनों की क्षमताओं की सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ग): महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तन (गैर-महापत्तन/ लघु पत्तन) संबंधित राज्य समुद्री बोर्डों और राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होते हैं। पोन्नानी केरल सरकार के नियंत्रण के अधीन एक गैर-महापत्तन है। केरल समुद्री बोर्ड ने 20 करोड़ रु. की कुल लागत पर पोन्नानी में बहुउद्देशीय बर्थ के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को सागरमाला योजना के तहत आंशिक सहायता के उद्देश्य से अग्रेषित किया है।

क्षेत्रीय संपर्कता, क्रूज पर्यटन संभावना और आर्थिक प्रगति के महत्व को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने यह सूचित किया है कि वे पीपीपी मॉडल पर पोन्नानी पत्तन का विकास करने का दायरा तलाश रहे हैं। उन्होंने विभिन्न गैर-महापत्तनों और साथ ही पड़ोसी राज्यों के पत्तनों से जुड़ने वाले क्रूज पोत परिवहन आरंभ करने हेतु निजी सेवा प्रदाताओं से ईओआई आमंत्रित की है।

*****